दिनाक 23.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–23/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में पुलिस झण्डा दिवस 2020 (Police Flag Day) का आयोजन किया गया

आज दिनांक 23–11–2020 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ के प्रांगण में प्रातः 10.30 बजे भारत सरकार एवं उ0प्र0शासन द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुये '**पुलिस झण्डा दिवस**' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ध्वज को ध्वज स्तम्भ के निकट ससम्मान लाया गया। **श्री एच0सी0 अवस्थी पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का अभिवादन किया गया एवं बैण्ड द्वारा 'सारे जहाँ से अच्छा' धुन बजायी गयी।**

श्री एच0सी0अवस्थी पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा गया :–

आज के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनहत्तरवां (69) झण्डा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी लोग हमारे ध्वज की गरिमा एवं इसके प्रति अपने दायित्वों का स्मरण करते हैं।

ध्वज हमारे चरित्र का दर्पण एवं गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जिसमें हमने देश सेवा एवं लोकसेवा में अपने कौशल, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता से अप्रतिम योगदान दिया है, जिसमें सर्वोच्च आत्म बलिदान भी सम्मिलित है। यह ध्वज हमारे लिए प्रेरणादायी है तथा इस ध्वज के फहरने भर से हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।

20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा रंग प्रदान किया जाना सर्वोच्च सम्मान रहा है, जो भारत के किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है, जो एक प्रतीक है, जिसे सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बायें हाथ की आस्तीन में पहना जाता है। यद्यपि रंग को युद्ध में ले जाने की प्रथा बन्द हो गयी है, लेकिन सशस्त्र एवं पुलिस बलों में आज भी रंग प्राप्त करने, धारण करने और उसके साथ परेड करने की परम्परा जारी है ।

पुलिस ध्वज हमारे गौरवशाली अतीत का जीवन्त प्रतीक भी है। पुलिस विभाग की अहर्निश जन–सेवा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, शौर्य तथा आत्म बलिदान के अनगिनत दृष्टान्तों के बाद ही पुलिस ध्वज की प्राप्ति होती है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के वीर जवानों के शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम उ0प्र0 पुलिस को पुलिस ध्वज एवं रंग प्रदान किया गया था। उ0प्र0 पुलिस **पूरे भारत में प्रथम राज्य पुलिस बल है**, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप पुलिस कलर अर्थात **पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है**, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है ।

23 नवम्बर 1952 को पुलिस लाइन्स लखनऊ के परेड ग्राउण्ड में वार्षिक पुलिस परेड के अवसर पर राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस एवं पीएसी को कलर प्रदान किये गये। ध्वज का आकार 4 फिट लम्बा एवं 3 फिट चौड़ा है। यह दो रंगो का है, जिसमें ऊपर लाल रंग एवं नीचे की ओर नीला रंग है, मध्य में उ0प्र0 पुलिस का प्रतीक चिन्ह है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन (1960–61) की रिपोर्ट में पुलिस मुख्यालय को इलाहाबाद(वर्तमान प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गयी थी। इसके बाद उ0प्र0 पुलिस विभाग में विभिन्न इकाईयों का आविर्भाव हुआ है, जिससे यह विभाग एक समग्र और सम्पूर्ण रूप से जनता की सेवा में तत्पर है। इसी श्रंखला में समय–समय पर पुलिस विभाग में सीबीसीआईडी, सतर्कता अधिष्ठान, ई0ओ0डब्ल्यू0, तकनीकी सेवायें, लॉजिस्टिक्स, यातायात निदेशालय इत्यादि इकाईयां लखनऊ में

स्थापित की गयीं तथा एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0,112 एवं 1090(वीमेन पावर लाइन) का गठन किया गया है। हाल ही में साइबर थाने, ई0ओ0डब्ल्यू0 थाना, पावर कारपोरेशन थाना एवं विजिलेन्स थाना का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन एवं पुलिस फॉरेन्सिक यूनीवर्सिटी की स्थापना हेतु भी कार्यवाही प्रचलित है ।

हाल में **वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में** पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। वर्तमान बदलते परिदृश्य एवं उन्नत तकनीक की सुलभता के युग में अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए हमको नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश की पुलिस ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था कायम करने के साथ—साथ पीड़ित आम जनता के व्यक्तियों के पास सहायता हेतु द्रुतगति से पहुंचकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम पूरी कुशलता से किया है। इसके साथ ही हमारी पुलिस साइबर अपराध, आतंकवाद, साम्प्रदायिक तनाव एवं आन्तरिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का भी पूर्ण दक्षता से सामना कर रही है ।

झण्डा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि जिस कर्तव्यपरायणता, शौर्य, निष्ठा, लगन के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस को यह ध्वज प्राप्त हुआ था, उस ध्वज की गरिमा को हमें हमेशा बनाये रखना है।

मैं आप सभी को पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाईं देता हूँ ।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीया राज्यपाल उ0प्र0 को पुलिस झण्डा प्रदान किया गया

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 23–11–2020 को माननीया राज्यपाल उ0प्र0, श्रीमती आनंदीबेन जी को पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर पुलिस झण्डा प्रदान किया गया। माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर सभी पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 को पुलिस झण्डा लगाया गया

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 23—11—2020 को माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर पुलिस झण्डा लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर सभी पुलिसजनों को शुभकामनाएं दी।

एसटीएफःलूट की घटना मे वांछित व जनपद जालौन से रू० 25,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त भागवेन्द्र, जनपद जालौन से गिरफ्तार।

दिनॉकः 22—11—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लूट की घटना में वांछित व जनपद जालौन से रू0 25,000/— के इनामी अपराधी भागवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1— भागवेन्द्र सिंह पुत्र चरन सिंह नि0 बम्हौरा, थाना चुर्खी, जनपद जालौन।

बरामदगीः-

1— एक अदद दे"ाी तमंचा .315 बोर

2— दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :-

मदारीपुर रोड के पास बने यात्री प्रतीक्षालय, थाना कालपी, जनपद जालौन, दिनांक 22—11—2020, समय 20—05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के निर्दे"ान में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 बरनाम सिंह, कान्स0 मृत्युंजय सिंह की एक टीम जनपद जालौन में अभिसूचना संकलन हेतु मौजूद थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह मदारीपुर रोड के पास बने यात्री प्रतीक्षालय में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल जनपद जालौन में मौजूद एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह को उपरोक्त स्थान से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह ने बताया कि वह राघवेन्द्र सिंह उर्फ बर्री जनपद औरेया का निवासी है व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी है। उसके साथ मैंने जालौन, औरेया व कानपुर देहात सहित कई जनपदों में आपराधिक वारदातें की हैं। हम लोग छिप—छिपाकर दिल्ली, गुड़गांव क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक आकर कानपुर के आसपास आपराधिक कृत्यों को अंजाम देकर पुनः दिल्ली के आस—पास के क्षेत्रों रहकर अपना छुपाव करते रहते है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना—कालपी, जनपद जालौन पर मु0अ0सं0: 411/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह जनपद जालौन के अन्य अभियोगों में वांछित चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थानों द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 397/19 धारा 392 भादवि थाना कालपी, जनपद जालौन।
2. मु0अ0सं0: 189/2019 धारा—411/413/420/467/468/471 भादवि थाना कालपी जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 29/2019 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि थाना चुर्खी, जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 66/2019 धारा 379/411 भादवि थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 411/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालपी, जनपद जालौन।

एसटीएफः लूट व पुलिस मुठभेड़ की घटना में वांछित व जनपद शाहजहॉपुर से रू0 25,000/— के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि को थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) से गिरफ्तार।

दिनाकः 22—11—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लूट एवं पुलिस मुठभेड़ की घटना में वांछित व जनपद शाहजहॉपुर से रू0 25,000/— के इनामी अपराधी सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि को थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि पुत्र स्वः विश्राम बाल्मीकि निवासी ग्रा0. चाहरपुर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजॅहापुर।

बरामदगीः—

1— लूट का पैसा रू0 17800/—
2— एक अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :—

हरवंशवाला, थाना बसन्त बिहार, देहरादून, दिनांक 22—11—2020, समय 17—30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री लाल प्रताप सिंह के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, कान्स0 प्रभाकर पाण्डेय, कान्स0 प्रशांत कुमार की एक टीम शाहजहॉपुर में अभिसूचना संकलन हेतु मौजूद थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि वर्तमान में मोहल्ला हरवंशवाला, थाना बसन्त बिहार, देहरादून में रह रहा है। इस

सूचना पर तत्काल जनपद शाहजहाँपुर थाना कांट के मु0अ0सं0 555/2020 धारा 307/420/482 भा0वि0द0 के विवेचक को साथ लेकर देहरादून पहुँच कर उपरोक्त सुनील उर्फ टन्नू को देहरादून के थाना बसन्त बिहार क्षेत्र हरवंशवाला से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया तथा थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) को सूचित करने के उपरान्त जनपद शाहजहाँपुर के थाना कांट में दिनांक 23.11.2020 को दाखिल किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि ने बताया कि उसके द्वारा दिनांक 03.10.2020 को थाना तिलहर क्षेत्र में तमन्चा दिखा कर एक बैग लूट लिया था, जिसमें रू0 65000/– व आधार कार्ड मौजूद था। इस लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर में मु0अ0सं0 768/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.08.2020 को वह अपने सगें भाई राजेश उर्फ झण्डू के साथ जा रहा था कि पुलिस से मुडभेड़ हो गयी। इस मुडभेड़ में इसका भाई गिरफ्तार कर लिया गया तथा वह मौके से पुलिस पार्टी पर फायर करके फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर में मु0अ0सं0 555/2020 धारा 307/420/482 भा0वि0द0 पंजीकृत हुआ था। इसी मुकदमें में इस पर रू0 25000/–का पुरस्कार जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा धोषित किया गया। पुरस्कार धोषित होने के उपरान्त से ही वह देहरादून में लुकछिप कर रह रहा था तथा लूटे हुए पैसे को खर्च कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूट के बचे हुए रू0 17800/– व लूटे हुए व्यक्ति का आधार कार्ड बरामद किया गया तथा थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 768/2020 धारा 392 भादवि का भी अनावरण हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेयपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 50,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी घायल, उपचार के दौरान मृत**
- **01 अवैध तमंचा, 01 पिस्टल मय कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.11.2020 की रात्रि थाना लालपुर पाण्डेयपुर, थाना जैतपुरा एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिंग रोड ऐढ़े मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गयी, जिसमें उ0नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय व आरक्षी विनय सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त मोनू उर्फ मोनी उर्फ अरविन्द सिंह चौहान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान चिकित्साकों द्वारा अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के कब्जे से

01 अवैध तमंचा, 01 अवैध पिस्टल मय कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल पुलिस कर्मियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरूद्व जनपद वाराणसी के विभिन्न थानों में डकैती, चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। मृत अभियुक्त थाना लालपुर पाण्डेयपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–मोनू उर्फ मोनी उर्फ अरविन्द सिंह चौहान नि0 01/64 पालग खाना रोड थाना कैण्ट वाराणसी। हालपता–लाखी दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा, 01 अवैध पिस्टल मय कारतूस व 01 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना हरदुआगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 22.11.2020 को थाना हरदुआगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरू सिकरन पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी रहीश घायल हो गया , जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो पर चोरी, डकैती आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरदुआगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—315/19 धारा 380/411 भादवि व थाना अतरौली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रहीश निवासी कस्बा व थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ ।

बरामदगी

1—01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—24

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट की पल्सर मोटर साइकिल, लैपटाप**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि, बरामद**

दिनांक 22.11.2020 को थाना सेक्टर—24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर 57 चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अपराधी विपिन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की पल्सर मोटर साइकिल, 01 लैपटाप, 01 लेडीज बैग, 01 लैपटाप बैग, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो पर डकैती, लूट, चोरी व गैंगेस्टर एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना सेक्टर –24 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी मदनगिर दकछिनपुरी थाना अम्बेडकरनगर दिल्ली।

बरामदगी

1–01 लूट की पल्सर मोटर साइकिल,

2–01 लैपटाप, 01 लैपटाप बैग, 01 लेडीज बैग,

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद बिजनौर /थाना मण्डावली

- **15 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 23.11.2020 को थाना मण्डावली व थाना नांगल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मौजम्मपुर तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी शहबाज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–218/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मण्डीला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

शहबाज निवासी नयागांव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन**
- **नकली सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश,**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत के नकली प्रोटीन व रैपर आदि बरामद**

दिनांक 22—11—2020 की रात्रि थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र से अवैध रूप से संचालित बाडी बिल्डिंग सप्लीमेंट की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्तों 1—जुबेर आलम 2—मो0 अरसी 3—आमिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत के नकली प्रोटीन व रैपर आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार

1—जुबेर आलम नि0 सरवठ गेट सुपर मार्केट थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर।
2—मो0 अरसी नि0 163 दक्षिण खालापार थाना को0 नगर मुजफ्फरनगर।
3—आमिल नि0 ग्राम कुकड़ा थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।

बरामदगीः—

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत के नकली प्रोटीन व रैपर आदि।

जनपद देवरिया/थाना गौरी बाजार

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
  लूट के 5 लाख 18 हजार रूपये नगद
- **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल**
- **02 अवैध तमंचा, 01 अवैध पिस्टल, 06 कारतूस**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 22—11—2020 की रात्रि को थाना रामपुर, गौरी बाजार, तरकुलवा ,बनकटा, व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदरसन ढाल के पास हाटा रोड़ से पुलिस कार्यवाही के दौरान 05 अभियुक्तो 1—अवधेश 2—मोहसीन उर्फ सोनू,

3—अजय, 4—अभिषेक, 5—कामेश्वर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 5 लाख 18 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा, 01 अवैध पिस्टल, 06 कारतूस व 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.11.2020 को थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट सहित हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गौरीबाजार पर मु0अ0स0 331/2020 धारा 302/394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से बरामद माल व नगद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अवधेश निवासी बरपार थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

2—मोहसीन उर्फ सोनू, निवासी महुआबारी शास्त्रीनगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3—अजय निवासी रामपुर हिरामन थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

4—अभिषेक निवासी गौरीबाजार हाटा रोड थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

5—कामेश्वर निवासी इंदुपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

बरामदगीः—

1—लूट के 5 लाख 18 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा, 01 अवैध पिस्टल, 06 कारतूस।

4—01 कार।

<u>जनपद इटावा (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 23 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद इटावा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त रजत द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 23 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तं को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एसजे सोनभद्र द्वारा थाना घोरावल पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी/302 भादवि में अभियक्त नीरज को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———————